मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2014 (25 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के उपलक्ष्य में बधाई

श्री विश्वास सारंग, सदस्य द्वारा ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान की हैसियत और बढ़ाने के उपलक्ष्य में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सदन की ओर से बधाई दी गई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 95 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 106 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मन्दसौर एवं नीमच जिलों में वाहनों का चेक पोस्ट से न जाकर ग्रामों में से जाने के कारण, राजस्व की हानि पहुंचाई जाने,

(2) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की रीवा जिले में अमानक स्तर का खाद्यान्न वितरण होने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्वालियर जिले के ग्राम ओहदपुर की रॉयल गृह निर्माण समिति द्वारा फर्जीवाड़ा किये जाने,

(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह कृषि उपज मंडी के हम्मालों आदि को हटाने से समस्या उत्पन्न होने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के बड़ोदा में वोल्टेज की समस्या होने,

(6) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा में विद्युत की समस्या होने,

(7) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया जिले में रेत का अवैध उत्खनन होने,

(8) श्री संजीव छोटेलाल उइके, सदस्य की मुरैना के नैनपुर में पेयजल संकट होने,

(9) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की शासकीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि दिनांक में संशोधन किये जाने तथा

(10) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सिंगरौली जिले के राजस्व अमले द्वारा आराजियों के नामांतरण में अनियमितता होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखा.

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत गसवानी में राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का निर्माण कार्य बंद होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य ने जबलपुर जिले में भू-माफिया द्वारा आदिवासियों की भूमि सस्ती दर पर खरीदी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रथम से तैंतीसवें तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) पंडित रमेश दुबे (जिला-छिंदवाड़ा)
(2) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(3) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(5) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(6) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(7) श्रीमती चन्दा सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(8) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(9) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(10) श्री राम निवास रावत (जिला-श्योपुर)
(11) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)

8. शासकीय वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में नवीन पदों की स्वीकृति देने संबंधी वक्तव्य दिया.

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

9. वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

12. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक हजार चौंतीस करोड़, उन्नीस लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 43	खेल और युवक कल्याण के लिए एक सौ एक करोड़, बयालीस लाख, सतावन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए अठानवे करोड़, चार लाख, आठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) डॉ. मोहन यादव
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(5) श्री जितू पटवारी
(6) श्री दिव्यराज सिंह
(7) श्री देवेन्द्र वर्मा
(8) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(10) श्री मनोज अग्रवाल
(11) इंजी. प्रदीप लारिया
(12) श्री शैलेन्द्र पटेल
(13) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(14) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(15) श्री राजेश सोनकर

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(16) श्रीमती चन्दा सिंह गौर
(17) श्री के.के. श्रीवास्तव
(18) श्री आशीष शर्मा
(29) श्री दिलीप सिंह परिहार
(20) श्रीमती ऊषा चौधरी
(21) श्री रामेश्वर शर्मा
(22) श्री राजेन्द्र पाण्डेय

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए छः हजार पॉंच सौ सात करोड़, इकसठ लाख, उनहत्तर हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर) के लिए दो हजार तीन सौ तिरासी करोड़, चौदह लाख, चौबीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री राजेन्द्र पाण्डेय
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(4) श्री गिरीश गौतम
(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(6) श्री मुरलीधर पाटीदार
(7) श्री जितू पटवारी
(8) डॉ. कैलाश जाटव
(9) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(10) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(11) डॉ. रामकिशोर दोगने
(12) श्री दिलीप सिंह परिहार
(13) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(14) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(15) श्री के.के. श्रीवास्तव
(16) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(17) श्री जयवर्धन सिंह
(18) श्रीमती पारूल साहू (अंग्रेजी में भाषण)
(19) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(20) श्री संजय शर्मा
(21) श्री अरूण भीमावद
(22) श्री कमल मर्सकोले
(23) श्री बहादुर सिंह चौहान
(24) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(25) श्रीमती ऊषा चौधरी
(26) श्री प्रताप सिंह
(27) श्री वैल सिंह भूरिया

श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपरान्ह 6.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2014 (26 आषाढ़, शक सम्वत्1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 16 जुलाई, 2014